भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 739

दिनांक 26.07.2023 को उत्तरार्थ

'स्वामित्व' योजना की उपलब्धि

739. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वामित्व योजना की शुरुआत के बाद से इसके तहत मानचित्रित गांवों की प्रगति का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 2020 में इस योजना की घोषणा के बाद से छह लाख से अधिक गांवों के मानचित्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के तहत नित लक्ष्य को संशोधित किया है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी स्वामित्व अधिकार (संपत्ति कार्ड/हक विलेख) जारी कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के गृह स्वामियों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल/भूखण्डों की मैपिंग भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जाती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। अब तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों

(यूटी) ने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वामित्व के तहत मैप किए गए गांवों की प्रगति का राज्यवार और वर्षवार विवरण योजना **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ङ) इस योजना का लक्ष्य राज्यों के सभी ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के लगभग 6 लाख गांवों को कवर करना है, जिन्होंने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हालाँकि, योजना के कार्यान्वयन के दौरान, सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों की वास्तविक संख्या को निम्नलिखित कारणों से संशोधित किया गया है:

i. गैर-भागीदारी वाले राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मेघालय जिन्होंने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, में गांवों की संख्या में उल्लेखनीय कमी।

ii. यह देखा गया है कि आबादी वाले गांवों की वास्तविक संख्या स्थानीय सरकारी निर्देशिका में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई गांवों की कुल संख्या से कम है।

iii. कुछ राज्य जैसे सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड इस योजना को केवल प्राथमिक (पायलट) गांवों में लागू कर रहे हैं।

iv. ओडिशा और असम इस योजना को केवल उन गांवों में लागू कर रहे हैं जिनके पास अधिकारों का कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है।

***

अनुबंध

'स्वामित्व योजना की उपलब्धि' के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को उत्तरार्थ राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 739 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण गांवों का राज्यवार विवरण (दिनांक 17.07.2023 तक)					
	राज्य	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22 (संचयी)	वित्त वर्ष 2022-23 (संचयी)	वित्त वर्ष 2023-24 (संचयी)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		140	140	186
2	आंध्र प्रदेश	521	1,793	5,383	10,834
3	अरुणाचल प्रदेश		129	1,577	2,171
4	असम		36	362	891
5	छत्तीसगढ़		1,771	7,966	11,440
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		77	77	80
7	दिल्ली			31	31
8	गोवा		412	410	410
9	गुजरात		619	7,134	10,943
10	हरियाणा	5,781	6,260	6,260	6,260
11	हिमाचल प्रदेश		464	4,851	7,768
12	जम्मू और कश्मीर		748	1,469	1,925
13	झारखंड		240	240	240
14	कर्नाटक	1,292	2,415	3,589	6,703
15	केरल		23	142	184
16	लद्दाख		5	168	192
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह		8	10	10
18	मध्य प्रदेश	3,592	22,897	42,853	43,014
19	महाराष्ट्र	5,075	16,302	35,916	36,499
20	मणिपुर		0	148	209
21	मिजोरम		48	164	215
22	ओडिशा		257	1,837	2,411
23	पुदुचेरी		96	96	96

24	पंजाब	146	743	4,605	6,372
25	राजस्थान	69	1,790	15,013	21,840
26	सिक्किम		1	1	1
27	तमिलनाडु		3	3	3
28	तेलंगाना		0	5	5
29	त्रिपुरा		3	3	3
30	उत्तर प्रदेश	19,097	59,147	89,534	90,902
31	उत्तराखंड	3,803	7,441	7,441	7,441
	कुल	39,376	1,23,868	2,37,428	2,69,279